फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजि. मुकाम बामनवास

....बनाम.......................................

किस्म मुकदमा.................... मुकदमा नं.......................सन.....................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहक[illegible] हुक्म [illegible] में [illegible]
5 12/25	उभय पक्ष उपस्थित। P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अवकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आदेशानुसार दिनांक 23.12.25 को पेश हो। [signature] रीडर	
23 12/25	आज पत्रावली पेश हुई/ वकील उभय पक्ष उप०/ वकील उभय पक्ष की बहस पूर्व में हो चुकी है/ आज प्रकरण आदेश की स्टेज पर विचाराधीन है/ प्रकरण में दिनांक 3 11/25 को बहस हो चुकी है/ किन्तु आदेश जारी नहीं हो पाया था/ आज प्रकरण को सुना गया/ पत्रावली का अवलोकन किया गया/ मुताबिक राजस्व रिकार्ड विवादित भूमि सायल व गैर सायल की सह खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है/ जिस का विभाजन का दावा सायल की ओर से प्रस्तुत कर रखा है/ जब तक वि[illegible] जाता है तब तक हर [illegible] का नि[illegible] होना है/ जिसके प्रथम दृष्टया संतुलन सायल के पक्ष में होने के कारण गैर सायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद	

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 12:44:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
किया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अत: वकील सायल की ओर से प्रस्तुत प्रा. पत्र T.I मूल दावे के निस्तारण तक स्वीकार किया जाकर गैर सायल को को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि सायल के हिस्से की भूमि वाला आ. ख.न. 1854, 2050, 2051, 2053, 2068, मे से रकबा 0.16 हैक्टर बरंग लाल भाग ख.न. 2493, 2524, 2526, मे से रकबा 0.24 हैक्टर बरंग लाल भाग ख.न. 2530, 2726, 2728, 2731, मे से रकबा 0.13 हैक्टर बरंग लाल भाग ख.न. 2728/5285 स्थित ग्राम अमावरा तह० बामनवास के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में से किसी प्रकार व्यवधान पैदा न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे। तथा बिना विभाजन कराये रहन बेचान नही करे। तथा ख.न. 2053, 2054 के पूर्वी हिस्सा बरंग पीला भाग 10 फिट चौडा रास्ते के उपयोग उपभोग में सायल को किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल की जावे। यह आदेश आज [illegible] को सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Priyanka Karela Date: 2026.04.08 12:44:51 IST Reason: SelfAttested (प्रियंका कंडेला) उप खण्ड कलक्टर बामनवास (गंगापुर सिटी)	

Scanned with CamScanner